

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी-आम्हाद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

दायर दिनांक

13.05.2024

उनवान

निर्णय दिनांक

27.05.2024

प्रकरण संख्या
180/2024

1. अमरचन्द पुत्र बंशीलाल दत्तक पुत्र जगदीश जाति कुम्हार (प्रजापति) आयु वयस्क निवासी अगरपुरा तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०) —प्रार्थी

बनाम

1. नारायण पिता मांगु जाति जाट आयु वयस्क निवासी अगरपुरा तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०)
2. लादु पिता मांगु जाति जाट आयु वयस्क निवासी अगरपुरा तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०)
3. प्रेमदेवी पत्नि लादूलाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी अगरपुरा तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०)
4. गोपाल पिता मोड़ा जाति तेली आयु वयस्क निवासी अगरपुरा तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०)
5. जमना पिता मोड़ा जाति तेली आयु वयस्क निवासी अगरपुरा तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०)
6. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०)


—विपक्षीगण

उपस्थित:—अधिवक्ता प्रार्थी श्रवण कुमार सेन
अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 05 उपस्थित नहीं

—: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज० भू-राजस्व अधिनियम :-

—: निर्णय :-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज० भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा अगरपुरा प०ह० हलेड़ भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सुवाणा तहसील व जिला भीलवाड़ा की जमाबन्दी संवत् 2071-2074 के खाता संख्या 584 की अभिलिखित आराजियात 1069/1 कुल कित्ता 1 कुल रकबा 0.1897 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और अप्रार्थीगण जैर-बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।



उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 05 उपस्थित नहीं। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मन् किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात बहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में विक्रित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि जा अगरपुरा प0ह0 हलेड भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सुवाणा तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2071-2074 के खाता संख्या 584 की अभिलिखित आराजियात 1069/1 कुल खाता 1 कुल रकबा 0.1897 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा सूचित किया जावे। पत्थरगढी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए या किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती कश् अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000-00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका गामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर जमा करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में जारी जावे। निर्णय आज दिनांक 27.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(आहद निवृत्ति सोमनाथ)

उपरखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा
भीलवाडा